


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.11(7)/वित्त (नियम)/2008 दिनांक:12.09.08 एवं आदेश संख्या एफ. 11(7)/वित्त (नियम) पार्ट-1/2008 दिनांक: 06.08.2008 के अनुराण में राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता को राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 14 एवं 15 के तहत उनके नाम के आगे अंकित विवरण अनुसार एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति) वेतन बैंड (9300-34800)/(15600-39100)/पे मैट्रिक्स लेवल एवं कॉलम संख्या 08 के अनुसार ग्रेड वेतन एवं लेवल संख्या, कॉलम संख्या 09 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	नाम मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	विषय	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता पद पर चयन का प्रकार	एसीपी स्वीकृति से संबंधित सेवावधि का विवरण	PAY MATRIX LEVER NO/ GRADE PAY	एसीपी स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	नरेश सिंघवी, डोली (जोधपुर)	गणित	31.05.1969	27.03.95	डीपीसी	20 वर्ष	6000 (PB-III)	27.03.15
2.	राजेश कुमार, सादुलशहर (श्रीगंगानगर)	भौतिक	30.08.1974	01.07.99	डीपीसी	20 वर्ष	L-13	01.07.19
3.	हुक्म चन्द यादवेन्द्र, झालावाड़	गणित	04.05.1963	12.10.89	डीपीसी	30 वर्ष	L-14	12.10.19
4.	किशन सिंह सिसोदिया, एम.एम. बीकानेर	भौतिक	27.06.1976	01.07.99	डीपीसी	20 वर्ष	L-13	01.07.19
5.	रणवीर सिंह रावत, आर.पी., कार्यालय सीबीईओ, धौलपुर	भौतिक	01.04.1973	21.12.98	डीपीसी	20 वर्ष	L-13	21.12.18
6.	रोशन प्रकाश रैगर, केलवा (राजसमन्द)	भौतिक	14.03.1971	07.02.96	डीपीसी	20 वर्ष	L-13	07.02.19
7.	हरिओम बंसल, बाड़ी (धौलपुर)	गणित	01.01.1965	12.10.89	डीपीसी	30 वर्ष	L-14	12.10.19
8.	अनिल कुमार जैन, नैनवां (बून्दी)	भौतिक	06.06.1974	01.07.98	डीपीसी	20 वर्ष	L-13	01.07.18

क्र.सं. 06 पर अंकित कार्मिक के तीसरी संतान होने के कारण तीन वर्ष विलम्ब से स्वीकृत की जाती है। उक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवा-पुरतिका में आवश्यक रूप से की जावें।


(हिमांशु गुप्ता)

आईएएस


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 06/07/2020

क्रमांक.- शिविरा-मा/संस्था/सी-3/भौगक/एसीपी/स्वीकृति/2020/198

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 01- संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय।
- 02- संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मुख्यालय।
- 03- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक) जिला मुख्यालय।
- 04- संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक मुख्यालय।
- 05- सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 06- संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक।
- 07- निजी एवं रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)